<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला -बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—166 / 2004</u> संस्थित दिनांक—27 / 02 / 2004 फाईलिंग.क.234503000402004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी उकवा,थाना परसवाड़ा, जिला–बालाघाट (म.प्र.) – – – – – <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

चैतराम पिता चन्दनसिंह मरकाम उम्र—45 वर्ष, साकिन—हर्राटोला, चौकी बिठली, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-07/07/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं धारा—3 लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—14.11.2003 को शाम 5:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अपने वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जिससे क्षिति होना संभाव्य था एवं उक्त वाहन से विद्युत मण्डल के पोल को ठोकर मारकर, पोल व लाईन को तोड़कर लगभग 3450/—रूपये की रिष्टि कारित की।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पेहूलाल ने जूनियर इंजीनियर लामता का एक लिखित आवेदन अनावेदक चैतराम पिता चंदनसिंह मरकाम द्वारा वाहन कमांक—सी.पी.जे—9908 को लापरवाही पूर्वक चलाकर बिजली के पोल तोड़ने के संबंध में दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध अपराध कमांक—11/04, धारा—279 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं धारा—3 लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—14.11.2003 को शाम 5:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अपने वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया, जिससे क्षति होना संभाव्य था ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से विद्युत मण्डल के पोल को ठोकर मारकर, पोल व लाईन को तोड़कर लगभग 3450 / रूपये की लोक संपत्ति की नुकसानी कारित कर रिष्टि की ?

विचारणीय बिन्द्ओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— पीहूलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा म.प्र.वि.मं. लामटा के तत्कालिन जूनियर इंजीनियर के लिखित शिकायत दिए जाने पर उक्त लिखित शिकायत को ले जाकर थाना परसवाड़ा में प्रदर्श पी—1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रदर्श पी—3 का नजरी नक्शा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है और उसने इंजिनियर साहब के द्वारा दिए गए आवेदन को पुलिस थाना परसवाड़ा में पेश किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस वाले के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने सूचनाकर्ता होते हुए अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 6— मंगलाप्रसाद (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह ड्राईवर था। आरोपी ने उसके सामने बिजली के पोल को टक्कर मारा था, जिससे दो पोल टूट गए थे। उक्त घटना 4—5 वर्ष पूर्व की शाम के

6:00 बजे की है। ट्रक का नंबर सी.पी.जे—9908 था। उसने उक्त घटना की बात बिजली वालों को बताई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रक को ठोस मारने के बाद ट्रक और उसका चालक मौके पर ही खड़ा था। साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन किया है, जिसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है।

- 7— विजय अग्रवाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता ह। वह उसके ट्रक का ड्राईवर था। घटना वर्ष 2003—04 के लगभग की है। उसे जानकारी मिली की उसके ट्रक से बिजली के पोल टूट गए थे, तब वे पिताजी के साथ परसवाड़ा पहुंचे तब ट्रक घटनास्थल से हट चुका था। उसके सामने पुलिस ने वाहन मालिक दीपक अग्रवाल के घर के सामने से एक ट्रक कमांक—सी.पी.जे—9908 जप्त किया था, जिसका जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा पुलिस ने उसके सामने और कुछ नहीं जप्त किया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने पुलिस ने वाहन का कागजात रिजस्ट्रेशन बुक, परिमट, फिटनेस और इंश्योरेंस भी जप्त किये थे। साक्षी ने मामलें में दुर्घटना कारित वाहन ट्रक की जप्ती प्रदर्श पी—4 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का समर्थन किया है।
- 8— दीपक अग्रवाल (अ.सा.5), जिमी भाटिया (अ.सा.6), धीरेन्द्र सिंह (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने उनके सामने दुर्घटना कारित ट्रक को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार जप्त किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पुलिस द्वारा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार कार्यवाही किये जाने का समर्थन किया है।
- 9— माधवप्रसाद (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना आज से लगभग 10—11 वर्ष पूर्व की है। ग्राम डोंगरिया में दीपसिंह के मकान के आगे बिजली के लगे पोल ट्रक से टूट गए थे। उक्त पोल ट्रक चालक की लापरवाही से टूटा था। उस समय उसने ट्रक का नंबर देखा था, किन्तु आज उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने कथन में पुलिस को ट्रक का नंबर सी.पी.जे—9908 बता दिया था, जबिक प्रतिपरीक्षण में उक्त वाहन का नंबर नहीं बताना स्वीकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की

ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है।

डी.के. सिंह (अ.सा.१) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—16.11.2003 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। अपराध कमांक—76/03, धारा—279 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान साक्षी मंगला प्रसाद एवं माधव प्रसाद के समक्ष पीहूलाल की निशानदेही पर बिजली पोल का नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जिसमें करीब 5,000/—रूपये की नुकसानी होना पाया था। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—1 के अनुसार बिजली पोल के नुकसान होने की पुष्टि की है।

🗥 श्याम कुमार राणा (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं 11-कि वह दिनांक-14.11.2003 को लामता विद्युत वितरण केन्द्र में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा ट्रक क्रमांक-सी.पी.जे.-9908 के द्वारा ग्राम डोंगरिया में लगा विद्युत पोल को ठोस मारकर तोड़ दिया गया था, जिससे लगभग 3450 / - रूपये की क्षति हुई थी। उक्त ट्रक का मालिक दीपक अग्रवाल तथा चालक चैतराम मरकाम था। कार्यवाही करने के लिए प्रदर्श पी-5 का लिखित आवेदन थाना परसवाड़ा को दिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर दिनांक-11-12-2003 को उक्त ट्रक द्वारा तोड़े गए पोल का भूगतान किया गया था, जिसकी जानकारी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से थाना प्रभारी परसवाडा को उसके द्वारा दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ट्रक से पोल को ठोस मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन चालक को भी घटना के समय नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रक मालिक के द्वारा 2,200 / —रूपये पोल टूटने के संबंध में जमा किये गए थे।

- 12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी दीपसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।
- 13— प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मंगलाप्रसाद (अ.सा.3) एवं माधवप्रसाद (अ.सा.8) की साक्ष्य पेश की है, जिन्होंने उनके सामने ग्राम डोंगरिया में

दीपसिंह के मकान के आगे बिजली का पोल टूट जाने का समर्थन किया है तथा उक्त पोल दुर्घटना कारित वाहन ट्रक के चालक की लापरवाही से टूटना बताया है। साक्षी मंगलाप्रसाद (अ.सा.3) ने उक्त दुर्घटना कारित वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 से दुर्घटना होना और उसके चालक के रूप में आरोपी की पहचान की है, जिसका खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 का चालन लापरवाही से किया गया, जिस कारण दो पोल टूट गए थे। घटनास्थल लोकमार्ग होने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है।

14— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की अभियोजन ने साक्ष्य नहीं कराई है। यद्यपि मामलें में प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस कारण उक्त के अभाव में अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

अभियोजन ने एक ओर आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त दुर्घटना कारित वाहन ट्रक को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाया जाकर क्षति कारित करने हेतु अभियोजित किया है, वहीं दूसरी ओर उक्त अपराध के साथ लोक संपत्ति की नुकसानी कारित करने के अपराध में भी आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र विरचित किया गया है। लोक संपत्ति की नुकसानी कारित करने के अपराध में महत्वपूर्ण घटक रिष्टि का होना आवश्यक है तथा रिष्टि का अर्थ वही है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-425 में बताया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-425 के अंतर्गत जो कोई इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या उसकी स्थिति में तब्दीली करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है। इस प्रकार रिष्टि के अपराध के अंतर्गत आरोपी का आशय हानि या नुकसान कारित करने का होना या उसकी संभावना जानते हुए कार्य करना आवश्यक है। मामलें में किसी भी साक्षी ने यह प्रकट नहीं किया कि आरोपी ने जानबूझकर या रिष्टि करने की संभावना जानते हुए वाहन से पोल को टकराकर नुकसानी कारित की है। इस प्रकार मामलें में रिष्टि का अपराध प्रमाणित नहीं होने से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी ने लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि की है।

16— प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 का चालन लापरवाही से किया गया, जिस कारण दो पोल टूट गए थे। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाया जाकर क्षति कारित करने की श्रेणी में आता है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में विद्युत मण्डल के पोल को ठोकर मारकर, पोल व लाईन को तोड़कर लोक संपत्ति की नुकसानी कारित कर रिष्टि की, किन्तु अभियोजन ने संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन ट्रक कमांक—सी.पी.जे—9908 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाया, जिससे क्षति होना संभाव्य था। अतएव आरोपी को लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा—3 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

18— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया गया।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला—बालाघाट

पश्चात्-

19— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2004 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

20— मामले में आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2004 से लगातार विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत 1000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिकृम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

21— मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

22— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक—सी.पी.जे—9908 को मय दस्तावेज के सुपुर्ददार दीपक अग्रवाल वल्द सुखबीर अग्रवाल निवासी वार्ड नं—24 बालाघाट, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट